सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 246 राँची, मंगलवार, 13 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 जनवरी, 2018

कृपया पढ़ें :-

1. आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक-43(A)/गो०, दिनांक 19 अगस्त, 2011

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-7602, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011; पत्रांक-7918, दिनांक 9 जुलाई, 2012; पत्रांक-9910, दिनांक 28 अगस्त, 2012; पत्रांक- 12029, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012; संकल्प सं०-13508, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012; संकल्प संख्या-412, दिनांक 19 जनवरी, 2016 एवं पत्रांक-10853, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक- 519, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

संख्या-5/आरोप-1-97/2014 का.- 166-- श्री विल्सन भेंगरा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-593/03, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोन्टों, प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध आयुक्त के सचिव, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक-43(A)/गो०, दिनांक 19 अगस्त, 2011 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । प्रपत्र-'क' में श्री भेंगरा के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं०-1. श्री भेंगरा वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोंटों के पद पर पदस्थापित थे । माननीय स०वि०स० श्री निरल पुतली एवं श्री बाबु नाग, प्रदेश महासचिव, भा०ज०पा०, अ०ज०जाति मोर्चा द्वारा श्री भेंगरा के विरूद्ध टोन्टों प्रखण्ड अंतर्गत विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में लगभग नौ लाख रूपये का घोटाला करने संबंधी परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसका हिसाब नहीं देने के कारण इनका अंतिम प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया ।

आरोप सं०-2. जाँच में पाया गया कि इनके द्वारा 14 विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्य से अधिक अग्रिम का भुगतान किया गया । श्री भेंगरा द्वारा इन कार्यों का पर्यवेक्षण सही रूप में नहीं किया जाता था। इनके कार्यकाल की योजनाएँ अभी तक लंबित हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए योजना राशि का दुरूपयोग किया गया है । इनके द्वारा कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि मापी पुस्त किस परिस्थिति में गायब हुए हैं एवं इसे गायब करने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

आरोप सं०-3. इनके कार्यकाल में योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति बेहद खराब रही । ये केवल योजना स्वीकृत कराकर अग्रिम देने में ही रूचि लेते थे, जबकि योजनाओं को पूर्ण कराना इनका दायित्व था । कार्य से अधिक राशि अग्रिम के रूप में देना तथा उसका समायोजन नहीं कराना । यह आपके स्वेच्छाचारिता एवं व्यक्तिगत लाभ को दर्शाता है ।

आरोप सं०-4. जाँच में पाया गया कि इनके स्थानांतरण के फलस्वरूप एल०पी०सी० में लगभग 4,24,550/- रूपये वसूलनीय दर्ज है । साथ ही, जाँच की गयी योजनाओं में आपके विरूद्ध मापी पुस्त के अनुसार 25,57,649/- रूपये - कुल 29,82,199/- रूपये बकाया है, जिसे इन्होंने अब तक जमा नहीं किया है, जो संभावित गबन की ओर इंगित करता है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-7602, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री भेंगरा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा पत्रांक-7918, दिनांक 9 जुलाई, 2012, पत्रांक-9910, दिनांक 28 अगस्त, 2012, पत्रांक-12029, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 द्वारा स्मारित भी किया गया, परन्तु इनका स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा । अतः विभागीय संकल्प सं०-13508, दिनांक

7 दिसम्बर, 2012 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । पुनः, विभागीय संकल्प संख्या-412, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-519, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया । विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 पर बचाव-बयान. आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि इनका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र कहीं लंबित नहीं है । इनके वेतन की निकासी जनवरी, 2013 तक हुई है । इनके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2006 को एकमुश्त राशि 1,24,707/- रू० एवं दिनांक 26 नवम्बर, 2006 को एकमुश्त राशि 48,000/- रू० कोषागार में जमा करा दिया गया है एवं शेष राशि की कटौती करा दी गयी है । ऐसी स्थिति में एक वर्ष बाद गठित आरोप पत्र में राशि वसूलनीय दिखलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । जिला से प्राप्त मौखिक आदेश के आलोक में सामानों का क्रय कर भाउचर जिला नजारत को समर्पित कर दिया गया था, परंतु इनका समायोजन न कर मेरे एल०पी०सी० में उक्त राशि का उल्लेख कर दिया गया ।

आरोप सं०-2 पर बचाव-बयान. आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि इन योजनाओं में निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है । अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया है । इन योजनाओं का स्थल निरीक्षण कराकर इसका भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है । कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरांत अंतिम विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । इन योजनाओं में अभिलेख बन्द करने की कार्रवाई प्रतिस्थानी पदाधिकारी को करनी चाहिए थी ।

आरोप सं०-3 पर बचाव-बयान. आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि आरोपी पदाधिकारी के स्थानांतरण के चालू वित्तीय वर्ष की है । वित्तीय वर्ष 2004-05 से पूर्व ली गयी योजनाओं में दो स्कूल भवन तथा एक सामुदायिक भवन में सिर्फ फिनिशिंग कार्य शेष है एवं शेष योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है । प्रखण्ड द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में संतोषजनक तथा अच्छी उपलब्धि थी ।

आरोप सं०-4 पर बचाव-बयान. आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में वस्तुतः 4,24,524/- रू० अंकित है जबकि आरोप में 4,24,550/- रू० दर्शाया गया है। इसमें से 3,59,037/- रू० फरवरी, 2009 तक बोकारो कोषागार में शेष अवशेष 66,000/- रू० सरायकेला-

खरसावाँ कोषागार में मेरे द्वारा जनवरी, 2010 तक जमा कर दिया गया है । जहाँ तक योजनाओं में 29,82,199/- रू० के बकाया का प्रश्न है, इस संबंध में आरोप सं०-2 के बचाव-बयान में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । वस्तुतः योजनाओं में कोई भी राशि समायोजन हेतु लंबित नहीं है ।

विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा गठित मंतव्य एवं निष्कर्ष निम्नवत् है-

आरोप सं०-1 का निष्कर्ष. आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री भेंगरा के 7 जुलाई, 2015 से फरवरी, 2009 तक बोकारो जिला में पदस्थापित अवधि में उनसे वसूलनीय कुल राशि 4,24,524/- रू० में से 3,59,037/- रू० की वसूली कर ली गयी है । शेष राशि 65,487/- होती है, जबकि इसके विरूद्ध 66,000/- रू० वसूली कर लेने का उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि श्री भेंगरा से वसूलनीय राशि की वसूली की जा चुकी है । यहाँ उल्लेखनीय है कि यह वसूलनीय राशि कब और किस मद से ली गयी थी, स्पष्ट नहीं है । स्थिति न तो आरोप पत्र में और न ही आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है । लेकिन इतना तो तय है कि यह राशि इनसे मासिक किस्तों में पूर्ण रूप से वसूल ली गयी है ।

आरोप सं०-2 का निष्कर्ष. वर्तमान में योजना पूर्ण होने की पुष्टि जाँच-प्रतिवेदन से होती है । कुल विपत्र की राशि 1,39,723/- रू० में अगर अभिश्रव एवं मस्टर रौल की राशि 63,540/- रू० जोड़ देने के पश्चात् भी 76, 277/- रू० असमायोजित रह जाती है । राशि के समायोजन के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । मात्र कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरांत अंतिम विपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है । बिना मापी पुस्त के समायोजन का दावा कैसे किया जा रहा है ? -समझ से परे है । आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि स्थानांतरण होने के फलस्वरूप अभिलेख बन्द करने की कार्रवाई उनके प्रतिस्थानी पदाधिकारी को करनी थी । योजना पूर्ण होने के पश्चात् इसका अंतिम विपत्र बनाने की जवाबदेही उस समय पदस्थापित संबंधित अभियंताओं की थी । वर्णित स्थिति में अंतिम विपत्र प्रस्तुत नहीं करने के पूर्ण दोषी तकनीकी पदाधिकारी प्रतीत होते हैं ।

आरोप सं०-3 का निष्कर्ष. आरोप सं०-1 एवं 2 में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होगा कि योजनाएँ वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में ली गयी हैं। दिनांक 6 जुलाई, 2005 को आरोपी पदाधिकारी का स्थानांतरण हो गया था । योजनाओं के कार्यान्वयन में इनके प्रतिस्थानी की भी भूमिका होनी चाहिए थी। साथ ही, अंतिम विपत्र प्राप्त कर राशि के समायोजन का प्रयास किया जाना चाहिए था । इसके लिए तकनीकी पदाधिकारी ही दोषी प्रतीत होते हैं, जिन्होंने यथा समय विपत्र प्रस्तुत नहीं किया । आरोपी पदाधिकारी को पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । वर्तमान में अधिकतर योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी हैं । इनका बचाव-बयान स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

आरोप सं०-4 का निष्कर्ष. एल०पी०सी० में अंकित वसूलनीय राशि की कटौती वर्ष जनवरी, 2010 में ही करा दी गयी है । जबकि आरोप पत्र वर्ष, 2011 में तैयार किया गया है । अतः यह बिन्दु विचारणीय प्रतीत नहीं होता है । जहाँ तक योजनाओं के विरूद्ध मापी पुस्त के अनुसार 25,57,649/- रू० बकाया की बात है, तो इसकी पुष्टि योजनाओं के अंतिम विपत्र के समायोजन के पश्चात् ही की जा सकती है । इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की माँग उपायुक्त से की गयी थी, जो अनेक (18) स्मार के पश्चात् भी प्राप्त नहीं हो सका । यद्यपि आंशिक प्रतिवेदन में अधिकतर योजनाओं का पूर्ण होना बताया गया है ।

श्री भेंगरा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि-

(क) **आरोप सं०-1** एवं 4 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने सरकारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए विभिन्न योजनाओं में कार्य की प्रगति की समीक्षा किए बिना ही मनमाने ढंग से अग्रिम का भुगतान कर दिया । नियम विरूद्ध अग्रिम राशि के भुगतान के कारण ही उनके वेतन से रू० 4,24,524/- राशि की वसूली हुई है । वेतन से राशि की वसूली यह प्रमाणित करता है कि उन्होंने योजनाओं में वित्तीय अनियमितता करते हुए मनमाने ढंग से अग्रिम का भुगतान किया था ।

(ख) **आरोप सं०-2** में दिये गये 14 योजनाओं के विवरण से स्पष्ट है कि क्रम सं०-1 में अंकित योजना का अभिलेख टोन्टों प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । इन 14 योजनाओं का कार्य अपूर्ण है तथा अभिलेख के साथ मास्टर रौल तथा अभिश्रव का उपलब्ध नहीं होना इस बात को प्रमाणित करता है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया ।

(ग) **आरोप सं०-3** के आलोक में यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा योजना का पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण ही उनके पूरे पदस्थापन काल के दौरान योजनाएँ लंबित रहीं । योजना अभिलेखों के साथ मास्टर रौल तथा अभिश्रव का नहीं होना वित्तीय अनियमितता का परिचायक है ।

(घ) आरोपी पदाधिकारी के द्वारा यह जानने का कभी प्रयास नहीं किया गया कि किस परिस्थिति में अभिलेख या मापी पुस्त गायब हो गये । उक्त संबंध में न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई ।

समीक्षोपरांत श्री भेंगरा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों को ध्यान में रखते हुए इनके दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-10853,

दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । श्री भेंगरा के पत्र, दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा मुख्यतः पूर्व में समर्पित बचाव बयान में दिये गये तथ्यों को ही दुहराया गया है । पुनः उनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड में कोई परिवर्तन किया जा सके ।

अतः श्री विल्सन भेंगरा, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टोन्टों, प० सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण सहित) तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 246 -- 50